<u>**स्पीड पोस्ट द्वारा**</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 56/समीक्षा/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/पीपी/पीपीएस-II/2017 दिनांक: 05 मई, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष
नेशनल पीपुल्स पार्टी,
द्वितीय तल, एमडीयू
बिल्डिंग, एम.जी.एवेन्यू,
इम्फाल-795001(मणिपुर)

विषय: मणिपुर में राज्य दल के रूप में नेशनल पीपुल्स पार्टी की मान्यता-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मणिपुर** विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 में **'नेशनल पीपुल्स पार्टी'** के मतदान प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर, यह देखा गया है कि **'नेशनल पीपुल्स पार्टी'**, वर्तमान में, **मेघालय** राज्य में अपने आरक्षित प्रतीक **'किताब'** के साथ एक मान्यताप्राप्त राज्य दल, ने **मणिपुर** राज्य में भी राज्य दल के रूप में मान्यताप्राप्त करने के लिए निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6क(iii) में दी गई शर्तों को पूरा कर लिया है। तद्नुसार, आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत **मणिपुर** राज्य में भी **'नेशनल पीपुल्स पार्टी'** को राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. इस संबंध में अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी।

भवदीय,

(अश्विनी कुमार मोहाल)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचनार्थ।